न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2020/00085
पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र संख्या :– 22/2020

1. जितेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीनारायण जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. प्रहलाद पुत्र श्रीकृष्ण जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम लालपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. बोदूराम पुत्र नाथूराम जाति अहीर(यादव) निवासी ग्राम कवरपुरा देवगुढा तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. रामकिशोर पुत्र प्रहलाद जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम चकरोजदा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. सुरेन्द्र शर्मा पुत्र केदार नाथ शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नं0 डी 211 प्रेमनगर झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।

– – – **प्रार्थीगण**

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. मदनलाल पुत्र गोपीराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीराम पुत्र भूरा (फौत जरिये वारिसान)
   3/1 तीजा देवी पत्नी श्रीराम
   3/2 सांवरमल पुत्र श्रीराम
   3/3 दिनेश कुमार पुत्र श्रीराम
   3/4 मुकेश कुमार पुत्र श्रीराम
   3/5 कन्हैयालाल पुत्र श्रीराम
   समस्त 3/1 लगायत 3/5 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जालसू वाया जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. गंगा देवी उर्फ मंजू देवी पत्नी सांवरमल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।
5. प्रेमदेवी पुत्री रामस्वरूप (पत्नी सीतराम शर्मा) जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 45, सेनापति हाउस के पीछे, चम्बल मार्ग, झोटवाडा तहसील व जिला जयपुर।
6. मुन्नी देवी पुत्री रामस्वरूप (पत्नी सुरेश शर्मा) जाति ब्राह्मण निवासी मुकाम पोस्ट राजपुरा (ताला) वाया अचरोल, जिला जयपुर।
7. रामेश्वरी पत्नी रामस्वरूप (फौत नाम हजफ)

8. ललिता देवी पुत्री रामस्वरूप (पत्नी गोपाल शर्मा) जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नवलाई, पोस्ट बागरियावास, वाया श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
9. शिम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. सीता देवी पुत्री रामस्वरूप (पत्नी लादूराम शर्मा) जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खटवाड पोस्ट झाग वाया मोजमाबाद जिला जयपुर।
11. बलराज यादव पुत्री मेवाराम यादव जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम गुढासुरजन, तहसील आमेर जिला जयपुर।
12. बोदूराम यादव पुत्र नाथूराम यादव जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम कवरपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
13. रामस्वरूप यादव पुत्र जगदीश प्रसाद यादव जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम जैतपुरा पोस्ट रोजदा, तहसील आमेर जिला जयपुर।
14. माफी मंदिर श्री सीताराम जी वाके देह (नाबालिग) जरिये अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार महोदय आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

— — — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111
भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :—02.09.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी का प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 0.11 हैक्टे0, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.37 हैक्टे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.48 हैक्टे0 वाके ग्राम जालसु, पटवार हल्का जालसू, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित है। जो प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है।

उपरोक्त कृषि भूमि की सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2019 के मुताबिक आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय आमेर के आदेश क्रमांक/एल.आर. /2019/695 दिनांक 07.06.2019 की पालना में की जा चुकी है। जिसकी सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि के पडोस में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है, जिसके मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। उभयपक्षकारान अपने अपने खसरा नम्बरान पर साधिकार काबिज काश्त है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2019 की अनुपालना ग्राम जालसु, पटवार हल्का जालसू, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 397 रकबा 0.11 हैक्टे0, खसरा नम्बर 398 रकबा 0.

37 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 0.48 हैक्टे0 की सीमाओं पर पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद किये जाने व अप्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी किये जाने के समय किसी प्रकार की मजाहमत या मदाखलत नहीं किये जाने हेतु पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी सं0 9 की ओर से श्री लालचंन्द जाट अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण सं0 2, 3/1 से 3/6, 4 लगायत 6, 08, 10 लगायत 14 को रजिस्टर्ड ए.डी. डाक नोटिस जारी कराये 01 माह से अधिक का समय हो चुका है इनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। अप्रार्थी सं0 9 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ जिसके अनुसार अप्रार्थी की स्वयं की कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि एवं प्रार्थीगण की भूमि के मध्य कदीमी डोल लगी हुई थी और उसी के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पूर्व निर्धारित सीमा पर उसी अनुसार तार बाउण्ड्री लगाकर काबिज काश्त है तथा प्रार्थीगण एवं मिन अप्रार्थी अपनी सीमा क्षेत्र में रहते हुए शंतिपूर्ण काबिज होकर कृषि करते आ रहे है तथा आपसी सहमति से पूर्व की कदीमी डोल पर ही तार बाउण्ड्री लगाकर सीमा निर्धारित हो चुकी है जिन सब तथ्यों पर प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। विधिक प्रावधानों के अनुसार पत्थरगडी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को जबरन कब्जे से बेदखल नहीं किया जा सकता है, प्रार्थीगण द्वारा जो पत्थरगढी का आधार लेकर जबरन भूमि पर कब्जा करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है जबकि कब्जा छुडवाने के लिए अन्दर मयाद सक्षम न्यायालय में बेदखली का दावा करना विधिक रूप से आवश्यक होता है, प्रार्थी उपरोक्त विधिक कार्यवाही नहीं करके शॉटर्कट अपनाते हुए बिना किसी आधार एवं अधिकार के अप्रार्थीगण को पत्थरगढी का सहारा लेकर के बेदखल करने का प्रयास कर रहे है जिसका प्रार्थीगण को कतई कोई विधिक अधिकार नहीं है जिस कारण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है।

मिन अप्रार्थी ने अपनी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर तार बाउड्री लगा रखी है, जिस पर कदीमी कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिए प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण के खिलाफ बेदखली का वाद भी नहीं ला सकते है, क्योंकि वह भी अब मियाद बाहर हो चुका है इसलिए प्रार्थीगण को विधिक रूप से अब मान्य न्यायालय से कोई भी रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 तहसीलदार, आमेर के पत्रांक भू.अ. / 20 / 9518 दि. 18.11.2020 के अनुसार वाके ग्राम जालसू के आराजी ख0नं0 397 रकबा 0.11 हैक्टे0, ख0नं0 398 रकबा 0.37 हैक्टे0, कुल किता 2 रकबा 0. 48 हैक्टे0 जितेन्द्र कुमार पुत्र बद्रीनारायण हि0 1 / 8 जाति अहीर निवासी मोहनपुरा, प्रहलादसहाय पुत्र श्रीकृष्ण हि0 1 / 8 जाति अहीर निवासी लालपुरा, बोदूराम पुत्र नाथूराम हि0 1 / 4 जाति अहीर निवासी कंवरपुरा देवगुढा, रामकिशोर पुत्र प्रहलादसहाय हि0 1 / 4 जाति अहीर निवासी चकरोजदा, सुरेन्द्र शर्मा पुत्र केदारनाथ शर्मा हि0 1 / 4 जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नं0 डी. 21 प्रेमनगर झोटवाडा जयपुर की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख0नं0 पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार स्थगन आदेश, माफी मंदिर, अब्दूल रहमान का नोट अंकन नहीं है। उक्त खसरा नम्बरान का उपतहसीलदार साहब जालसू के आदेश क्रमांक / भू.अ. / 2019 / 695 दिनांक 07.06.2019 की पालना में दिनांक 20.06.2019 को सीमाज्ञान किया जा चुका है।

उभयपक्षकारान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 सपठित धारा 111 सीपीसी के तहत खातेदारी कृषि भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही बाद पत्थरगढी करवाने का प्रार्थीगण खातेदार अधिकारी है। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आमेर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीयां से ग्राम जालसु, पटवार हल्का जालसू, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 397 रकबा 0.11 हैक्टे0, खसरा नम्बर 398 रकबा 0. 37 हैक्टे0 कुल किता 2 रकबा 0.48 हैक्टे0 भूमि की पत्थरगढी फीस प्राप्त कर राजकोष में नियमानुसार जमा करवाये तथा पत्थरगढी की कार्यवाही से पूर्व पडोसी खातेदारान को विधिवत सूचित किया जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित करें। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 13(28) राज ग्रुप–1 / 92 जयपुर दिनांक 07.08.1992 के ओदशानुसार खड़ी फसल एवं वर्षाकाल के समय पश्चात अनुमत समय में पालना सुनिश्चित की जावें।

आज दिनांक **02.09.2022** को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।